राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2582/2025

सन्तरा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.05.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री मामराज जाट, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 15.01.2025 को एक स्थानांतरण आदेश क्रमांक 24 जारी किया था, जिसमें क्रमांक संख्या 601 एवं 602 पर क्रमशः सुनीता कुमारी एवं रामलाल नाम अंकित करते हुए उनके संबंध में स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं था। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने शुद्धिकरण आदेश दिनांक 03.04.2025 पारित किया, जिसमें उक्त स्थानांतरण आदेश के संबंध में निम्न प्रकार से शुद्धिकरण जारी किया गयाः–

23.	सुनीता कुमारी एवं संतरा/रामलाल	नर्सिंग ऑफिसर	24/15.01.2025	601 एवं 602	कार्मिक का नाम रामलाल के स्थान पर संतरा/रामलाल पढा जायें।

3. इस प्रकार अपीलार्थी का नाम शुद्धीकरण आदेश में दर्शाया गया और अपीलार्थी का नाम संतरा/रामलाल अंकित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी संतरा के पिता का नाम लक्ष्मणराम है। इसलिए अपीलार्थी के के नाम के आगे गलत रूप से रामलाल अंकित किया गया है। अतः बिना विवेक का प्रयोग के आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का

यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर दुर्भावनापूर्वक सुनीता कुमारी को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का नाम शुद्धिकरण आदेश में दर्शाया जाकर अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया है, जो गलत है।

4. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 में अपीलार्थी का नाम गलत अंकित किया गया था, जिसके लिए शुद्धिकरण आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी का नाम संतरा दर्शाते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना अंकित किया गया है। ऐसे में प्रकट होता है कि शुद्धिकरण आदेश जारी होने के पश्चात स्थानांतरण आदेश अपीलार्थी के संबंध में ही है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी सीकर जिले में वर्ष 2020 में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को सीकर में पर्याप्त समय तक पदस्थापित रखे जाने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष